राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4911/2022

नवरत्न (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेपी201817044595)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.09.2022
आदेश की दिनांक : 04.05.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री कोमल गिरी, अभिभाषक।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), चिड़ावा, झूंझूनु के अंतर्गत रायपुर अहिरान मुख्यालय पर कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी ने पूर्व में दिनांक 11.10.2018 को राजस्थान पुलिस जयपुर कमिश्नरेट में जाईन किया था तथा दिनांक 11.10.2018 से 07.08.2020 तक लगातार राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल (रिक्रूट) के पद पर सेवाएं दी है। उनका आगे तर्क है कि बाद में अपीलार्थी का कृषि पर्यवेक्षक के पद पर सलेक्शन हो गया, जिसके लिए अपीलार्थी द्वारा पुलिस डिपार्टमैंट से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया हुआ था। परंतु फिर भी पुलिस विभाग द्वारा अपीलार्थी को रिलिव नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को त्याग पत्र देना पड़ा तथा इसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 10.08.2020 को जोईन कर लिया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्ष 2018 से लगातार प्रोबेशन पर ही नौकरी कर रहा था, जबकि दोनों ही पद एल–5 पे ग्रेड में आती है। उनका

तर्क है कि अपीलार्थी को पुलिस विभाग की नौकरी वर्तमान कृषि पर्यवेक्षक पद की नौकरी में जोड़कर अपीलार्थी को वरिष्ठता एवं समस्त परिलाभ प्रदान किये जाये। अपीलार्थी ने इस संदर्भ में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर काई निर्णय नहीं लिया गया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)